<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)</u>

अपील/रसद/31/2016

तौफीक पुत्र दीन मौहम्मद जाति मेव निवासी उड़कीदल्ला तहसील नगर जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पैराकार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी(द्वितीय) भरतपुर दिनांक 28–06–2016 प्रकरण संख्या 11/2016 सरकार बनाम तौफीक ।

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 11.12.2017</u>

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर के आदेश दिनांक 28–06–2016 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर किया जाकर जमा प्रतिभूमि राशि 1000/– रुपये जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है और नाही साक्ष्य वगै. पेश करने का मौका दिया गया है। अपीलाधीन आदेश इकतरफा में पारित किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि प्रवर्तन निरीक्षक ने जॉच रिर्पोट इकतरफा में अपीलान्ट की अनुपस्थित तैयार की गई है। इकतरफा जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत नहीं है। निरीक्षक द्वारा नाराज होकर यह कार्यवाही कर अपीलाधीन अवैध आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि डीलर के खिलाफ प्राप्त शिकायत महजरनामा ग्रांम वासीयान के आधार पर डीलर की दुकान की जॉच की गई है। डीलर के स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रिकार्ड की जॉच में पाया गया है कि राशन डीलर द्वारा माह जनवरी 16 के वितरण रजिस्टर में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर वितरित मात्रा दर

....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कुल प्राप्त राशि का अंकन नहीं किया गया है। डीलर द्वारा 4 लीटर केरोसीन की जगह उपभोक्ताओं को केवल 3 लीटर तेल दिया गया है। माह जनवरी 16 में डीलर ने खाद्य सुरक्षा का गेहूं 269क्वि. अन्त्योदय योजना का 12.60 क्वि गेहूं कुल 282.25 क्वि गेंहू प्राप्त किया है। जब कि डीलर ने माह जनवरी 16 में खाद्यसुरक्षा गेहू वितरण रजिस्टर 3642 यूनिटों पर प्रति यूनिट 5किग्रा. के अनुसार 182.10क्विंटल गेहूं एवं अन्त्योदय गेहू वितरण रजिस्टर में 30 राशन कार्डो पर प्रति कार्ड 35 किग्रा. के अनुसार 10.50 क्वि. का वितरण कुल वितरण 192.60 क्विटल दर्शाया गया है। माह जनवरी में अवशेष गेंहू मात्रा 75 किग्रा पाई गई इस प्रकार डीलर द्वारा 88.90 क्विंटल गेहूँ का गबन किया गया है। माह जनवरी 16 कैरोसीन वितरण रजिस्टर में दिनांक 25.1.2016 को कैरोसीन कुल आवक 3584 लीटर दर्ज है तथा 1944 लीटर कैरोसीन का वितरण दर्शाया गया हैं वितरण रजिस्टर में उपभोक्ता के हस्ताक्षर मात्रा दर राशि अंकित नहीं किये गये हैं। मौके पर भौतिक रुप से 710 लीटर केरोसीन मिला इस प्रकार डीलर द्वारा 920 लीटर कैरोसीन का गबन किया गया है। डीलर के खिलाफ सम्बन्धित थाना में एफ. आई.आर. भी दर्ज कराई गई है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिया है अपीलान्ट को आकर अपना पक्ष अपनी बात रखनी चाहिये थी। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 12.2.2016 को कारण बताओ नोटिस अपीलान्ट को जारी किया गया है। यह नोटिस अपीलान्ट पर असालतन तामील होकर पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट बाबजूद सूचना जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं आना अपीलान्ट की हठधर्मीता ही कही जावेगी। जब कि अपीलान्ट डीलर है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकारी की आज्ञा की पालना करे और उपस्थित होकर प्रकरण में पैरवी करनी चाहिये थी, परन्तु अपीलान्ट बाबजूद सूचना जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। जिला रसद अधिकारी ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अपीलान्ट डीलर द्वारा किये गये कृत्य के बाबत एफ.आई.आर. नं. 179/16 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी. एक्ट पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर में दर्ज कराया गया है। जिसमें पुलिस द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है। अस्तु अपीलान्ट किसी भी प्रकार अनुतोष पाने का हकदार नहीं रहता है। अपील काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11–12–2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official